न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 101/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामस्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री रघुनाथ सैनी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा तहसील कोटपूतली, जयपुर

4. निर्णय दिनांक : 16.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जयपुर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.10.2018 को मय जांच दल के ग्राम रामसिंहपुरा अप्रार्थी की दुकान पर पंहुचे। मौके पर अप्रार्थी की उपस्थिति में गोदाम में रखे स्टॉक की जांच की गई किन्तु स्टॉक रजिस्टर व पॉस मशीन मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। साथ ही अप्रार्थी द्वारा मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का संधारण किया हुआ वक्त जांच नहीं पाया गया। विभाग पोर्टल से वक्त जांच को शेष स्टॉक 11 किग्रा. गेहूं व 56.200 किग्रा. चीनी शेष होनी चाहिए थी जबकि भौतिक सत्यापन में 6 कट्टे गेहूं कुल 3 क्विं. मय बारदाना तथा 1 कट्टा चीनी कुल 50 किग्रा. मिली। इस प्रकार 289 किग्रा. गेहूं अधिक व 6.200 किग्रा. चीनी कम पायी गई। ऐसी स्थिति में 6 कट्टे गेहूं कुल 3 क्विं. मय बारदाना को जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 03.08.2023 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा व अन्य ने उपस्थिति दी। तत्पश्चात अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 19.03.2024 को अप्रार्थी का जवाब बन्द कर इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा। दिनांक ——— 02.04.2024 को अधिवक्ता उपस्थित रहे परन्तु बहस नहीं की गई। बहस हेतु समय चाहने पर एक अन्तिम अवसर और दिया गया। आज दिनांक को बार–बार आवाज दिलाये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.10.2018 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं भौतिक सत्यापन करने पर विभाग पोर्टल के अनुसार शेष स्टॉक से अधिक पाये जाने के कारण जब्त किया। अप्रार्थी ने मौके पर व आज तक उक्त जब्त गेहूं के संबंध में कोई दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर, पॉस मशीन आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी ने दुकान पर उचित मूल्य दुकान भी अंकित नहीं किया हुआ था तथा मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का संधारण भी नहीं किया हुआ था। उक्त कृत्य अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 6 कट्टे गेहूं कुल 3 क्विं. मय बारदाना जो कि स्टॉक में अधिक पाये गये को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर